

प्रथम सूचना रिपोर्ट

{ अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया सहित }

1. जिला- भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर थाना:- सीपीएस जयपुर वर्ष 2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या..... 116/22 दिनांक..... 6/4/2022
2. (1) धारा 7,7ए, 8 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120बी भादस
(2) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धाराये:-
(3) अधिनियम धाराये :-.....
(4) अन्य अधिनियम व धाराये :-
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या..... 109 समय..... 5:40 pm
(ब) अपराध के घटने का दिन :- दिनांक 19.09.2019 से 26.05.2021 समय.....
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक :- 25.01.2022 समय.....
4. सूचना की किस्म :- लिखित
5. घटनास्थल :-
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :- चौकी से पश्चिम में करीब 110 कि०मी० दूर।
(ब) पता :-
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो :-
6. परिवादी / सूचनाकर्ता :-
श्री संजीव नैन, पुलिस अधीक्षक, एसआईडब्ल्यू, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्योरा विशिष्टियों सहित :-
 1. श्री गिरधारी लाल गुर्जर पुत्र श्री बन्नाराम गुर्जर, कानिस्टेबल नं. 2436, पुलिस थाना बांदर सिंदरी, जिला अजमेर।
 2. श्री सत्यनारायण जाट पुत्र श्री रंगलाल कानिस्टेबल चालक 618, सीओ कार्यालय किशनगढ शहर, जिला अजमेर।
 3. श्री नंदाराम पुत्र श्री मदनलाल कानिस्टेबल नं. 1050, पुलिस थाना गांधीनगर, जिला अजमेर।
 4. श्री बजरंग लाल यादव पुत्र श्री भजनचन्द यादव, कानिस्टेबल नं. 1415, पुलिस थाना मदनगंज, जिला अजमेर।
 5. श्री अशोक कुमार पुत्र श्री छोटूराम, कानिस्टेबल नं. 8704, पुलिस थाना बगरू, आयुक्तालय जयपुर।
 6. श्री राकेश कुमार यादव पुत्र श्री श्योजीराम कानिस्टेबल चालक 5911, पुलिस थाना बगरू, आयुक्तालय जयपुर।
 7. श्री रामसिंह पुत्र बन्नाराम जाट कानिस्टेबल नं. 9052, पुलिस थाना बगरू, आयुक्तालय जयपुर।
 8. श्री सुरेन्द्र भाटी पुत्र श्री देवी सिंह कानिस्टेबल चालक 5525, पुलिस थाना भांकरोटा, आयुक्तालय जयपुर।
 9. श्री रामचरण चौधरी पुत्र श्री रामलाल चौधरी, कानिस्टेबल नं. 9317, पुलिस थाना बगरू, आयुक्तालय जयपुर।
 10. श्री कैलाशचन्द चौधरी पुत्र श्री श्योजी चौधरी कानिस्टेबल नं. 1209, पुलिस थाना किशनगढ, जिला अजमेर।
 11. श्री अर्जुन सिंह पुत्र श्री रामचन्द्र कानिस्टेबल चालक 6000, पुलिस थाना बगरू, आयुक्तालय जयपुर।
 12. श्री विक्रम मीणा पुत्र नाथूराम कानिस्टेबल चालक 5976, पुलिस थाना भांकरोटा, आयुक्तालय जयपुर।
 13. श्री सुरेश चन्द मीणा पुत्र श्री छितर मल मीणा, कानिस्टेबल 767, तत्कालीन कानि. पुलिस आयुक्तालय जयपुर, हाल कानि. एस.पी. जिला अजमेर।
 14. श्री मूलचन्द शर्मा पुत्र श्री महावीर प्रसाद शर्मा, कानिस्टेबल नं. 2161, पुलिस थाना श्रीनगर हाल पुलिस लाईन जिला अजमेर।
 15. श्री त्रिलोक चन्द चावला पुत्र श्री रोडूमल चावला कानिस्टेबल नं. 1073, पुलिस थाना पचेवर, हाल थाना डिग्गी जिला टोंक।
 16. श्री गोवर्धन लाल पुत्र श्री बाबु लाल रैगर, तत्कालीन वाहन चालक खनन विभाग अजमेर, हाल वाहन चालक कार्यालय अतिरिक्त निदेशक खान उदयपुर जोन-उदयपुर
 17. श्री सुनील चौहान पुत्र श्री प्रदीप चौहान, वाहन चालक खान विभाग, अजमेर


18. श्री महेन्द्र मीणा निवासी बुबानी थाना गोगल, जिला अजमेर व अन्य।
8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :- कोई नहीं।
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां :-
10. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्तिया का कुल मूल्य :- कुल 05,32,000 रुपये
11. पंचनामा / यूडी केस संख्या (अगर हो तो).....
12. विषय वस्तु प्रथम इतला रिपोर्ट

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक 165 दिनांक 19.01.2022 के अग्रेषित पत्र द्वारा ब्यूरो को शिकायत दिनांक 25.01.2022 को प्रेषित की गयी। अग्रेषित पत्र के साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक 13866 दिनांक 24.12.2021 की रिपोर्ट आदि दस्तावेज की प्रतियां संलग्न है। उक्त शिकायत एवं संलग्न दस्तावेजों के अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि प्रकरण संख्या 233/2021 धारा 379, 384, 120बी भादस व धारा 21(4) एम.एम.डी.आर. एक्ट व धारा 54/60 आर.एम.एम.सी.आर. नियम 2017 पुलिस थाना दूदू, जयपुर ग्रामीण का अनुसंधान श्री वासुदेव सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एस.ओ.जी., राज0, जयपुर द्वारा किया गया। अनुसंधान के क्रम में प्रकरण में गिरफ्तार मुख्य आरोपी महेन्द्र मीणा निवासी बुबानी जिला अजमेर के कब्जे से दिनांक 06.06.2021 को एक मोबाईल फोन जब्त किया गया था। उक्त मोबाईल को मौके से जब्तकर शील्ड कर साक्ष्य संकलन हेतु एफ.एस.एल. भिजवाया गया था। एफ.एस.एल. से प्राप्त रिपोर्ट के संलग्न पैन् ड्राईव में संकलित फाईल का तथा महेन्द्र मीणा के बैंक खाते कैनरा बैंक शाखा किशनगढ एवं एचडीएफसी बैंक शाखा सेदरियां अजमेर का रिकार्ड प्राप्त कर विश्लेषण किया गया। महेन्द्र मीणा द्वारा अवैध बजरी परिवहन पुलिस विभाग, खनन व परिवहन विभाग के कर्मचारियों से मिलीभगत कर किया जा रहा था। महेन्द्र मीणा ने अवैध बजरी परिवहन में संलिप्त प्रत्येक वाहन के प्रति चक्कर नेशनल हाईवे व स्टेट हाईवे पर स्थित थाना क्षेत्र से निर्बाध परिवहन के लिए निर्धारित पैसे अवैध पारितोषण के रूप में राज्य कर्मचारियों को दिये है, तथा राज्य कर्मचारियों ने अवैध बजरी परिवहन में संलिप्त वाहनो के विरुद्ध विधिक कार्यवाही नहीं करने की एवज में अवैध पारितोषण प्राप्त किया है तथा अवैध पारितोषण प्राप्त करने के कारण इस प्रकार के वाहनो के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करने के निर्धारित दायित्वो के निर्वहन का लोप किया है। उक्त समस्त तथ्यों के एवम् संलग्न रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन/विश्लेषण/परीक्षण से निम्न तथ्य पाये गये :-

1. श्री गिरधारी, कानि0 नं0 2436, पुलिस थाना बांदर सिंदरी, जिला अजमेर मोबाईल नं. 7073177162 ने श्री महेन्द्र मीणा से दिनांक 04.04.2021 से 21.05.2021 के मध्य एक बार 32,000 रुपये व दूसरी बार 8000 रुपये कुल 40,000 रुपये प्राप्त किए है।
2. श्री सत्यनारायण, कानि0 चालक नं0 618, सीओ कार्यालय किशनगढ (शहर), मोबाईल नं. 9414657417 ने श्री महेन्द्र मीणा से दिनांक 02.03.2020 से 24.05.2021 के मध्य 1,0,2000 रुपये प्राप्त किए है।
3. श्री नन्दराम, कानि0 नं0 1050, पुलिस थाना गौधीनगर, जिला अजमेर मोबाईल नं. 950189173 ने श्री महेन्द्र मीणा से दिनांक 25.05.2021 से दिनांक 26.05.2021 के मध्य 50,000 रुपये प्राप्त किए है।
4. श्री बजरंग लाल, कानि0 चालक नं0 1415, पुलिस थाना मदनगंज, जिला अजमेर मोबाईल नम्बर 9414431897 ने श्री महेन्द्र मीणा से दिनांक 08.05.2021 को 25,000 रुपये प्राप्त किए है।
5. श्री अशोक, कानि0 नं0 8704, पुलिस थान बगरू, मोबाईल नं. 9785838586 ने श्री महेन्द्र मीणा से दिनांक 30.04.2021 से दिनांक 15.05.2021 के मध्य 10,000 रुपये प्राप्त किए है।
6. श्री राकेश यादव, कानि0 चालक नं0 5911, पुलिस थाना बगरू, मोबाईल नं. 9460491037 ने श्री महेन्द्र मीणा से दिनांक 15.05.2021 से दिनांक 20.05.2021 के मध्य 5,000 रुपये प्राप्त किए है।
7. श्री रामसिंह, कानि0 नं0 9052, पुलिस थाना बगरू, मोबाईल नं. 9829352642 ने श्री महेन्द्र मीणा से दिनांक 19.04.2021 से 25.04.2021 के मध्य 11,000 रुपये प्राप्त किए है।
8. श्री सुरेन्द्र भाटी, कानि0 नं0 5525, पुलिस थाना भांकरोटा, मोबाईल नं. 9928027555 ने श्री महेन्द्र मीणा से दिनांक 25.01.2021 से दिनांक 05.05.2021 के मध्य 79,500 रुपये प्राप्त किए है।
9. श्री रामचरण चौधरी, कानि0 नं0 9317, पुलिस थाना बगरू, मोबाईल नं. 9929428480 ने श्री महेन्द्र मीणा से दिनांक 25.04.21 से दिनांक 06.05.2021 के मध्य 6500 रुपये प्राप्त किए है।
10. श्री कैलाश कानि0 नं0 1209 पुलिस थाना किशनगढ अजमेर मोबाईल नं. 9799017720 ने श्री महेन्द्र मीणा से दिनांक 09.12.2019 से दिनांक 01.04.2021 के मध्य 40000 रुपये प्राप्त किए है।
11. श्री अर्जुन मीणा, कानि0 चालक नं0 6000, पुलिस थाना बगरू, मोबाईल नं. 9460152127 ने श्री महेन्द्र मीणा से दिनांक 15.05.2021 से दिनांक 16.05.2021 के मध्य 3000 रुपये प्राप्त किए है।
12. श्री विक्रम मीणा, कानि0 नं0 5976 पुलिस, थाना भांकरोटा, मोबाईल नं. 9785573760 ने श्री महेन्द्र मीणा से दिनांक 17.03.2021 से दिनांक 23.03.2021 के मध्य 6000 रुपये प्राप्त किए है।
13. श्री सुरेश मीणा, कानि0 चालक नं0 767, तत्कालीन चालक पुलिस आयुक्तालय जयपुर, हाल चालक एसपी, अजमेर मोबाईल नं. 9829895047, 9785724167 ने श्री महेन्द्र मीणा से दिनांक 05.03.2021 को 25000 रुपये प्राप्त किए है।

14. श्री मूलचंद शर्मा, कानि0 नं0 2161, थाना श्रीनगर हाल पुलिस लाईन, जिला अजमेर मोबाईल नं. 9799362043 ने श्री महेन्द्र मीणा से दिनांक 19.9.2019 से दिनांक 19.04.2021 के मध्य 36000 रुपये प्राप्त किए है।
15. श्री त्रिलोक, कानि0 नं0 1073 पुलिस थाना पचेवर, हाल पुलिस थाना डिग्गी, मोबाईल नं.9829741697 ने श्री महेन्द्र मीणा से दिनांक 31.05.2020 को 13000 रुपये प्राप्त किए है।
16. श्री गोवर्धन लाल पुत्र श्री बाबु लाल रैगर, चालक खनन विभाग, अजमेर मोबाईल नं. 9166685682 ने श्री महेन्द्र मीणा से दिनांक 15.02.2020 को 10000 रुपये प्राप्त किए है।
17. श्री सुनील चौहान पुत्र श्री प्रदीप चौहान, चालक खनन विभाग, अजमेर मोबाईल नं. 9784389885 ने श्री महेन्द्र मीणा से दिनांक 09.10.2019 से दिनांक 06.11.2020 के मध्य 70000 रुपये प्राप्त किए है।
18. श्री महेन्द्र मीणा निवासी बुबानी थाना गोगल, जिला अजमेर व अन्य।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर 1 से लगायत 17 तक राज्यकर्मचारियों ने कम सं. 18 पर अंकित प्राईवेट व्यक्ति श्री महेन्द्र मीणा से कुल 05,32,000 रुपये अवैध परितोषण दिनांक 19.09.2019 से 26.05.2021 की अवधि में प्राप्त किया गया है। इनका यह कृत्य भ्रष्टाचार की परिभाषा में आता है, जिसकी विस्तृत जांच करवाया जाना आवश्यक है। अतः 1.श्री गिरधारी, पुत्र श्री बन्नाराम गुर्जर, कानिस्टेबल नं. 2436, पुलिस थाना बांदर सिंदरी जिला अजमेर, 2.श्री सत्यनारायण जाट पुत्र श्री रंगलाल कानिस्टेबल चालक 618, सीओ कार्यालय किशनगढ शहर, जिला अजमेर, 3.श्री नंदाराम पुत्र श्री मदनलाल कानिस्टेबल नं. 1050, पुलिस थाना गांधीनगर, जिला अजमेर, 4.श्री बजरंग लाल यादव पुत्र श्री भजनचन्द यादव, कानिस्टेबल नं. 1415, पुलिस थाना मदनगंज, जिला अजमेर, 5.श्री अशोक कुमार पुत्र श्री छोटूराम, कानिस्टेबल नं. 8704, पुलिस थाना बगरू, आयुक्तालय जयपुर, 6.श्री राकेश कुमार यादव पुत्र श्री श्योजीराम कानिस्टेबल चालक 5911, पुलिस थाना बगरू, आयुक्तालय जयपुर, 7.श्री रामसिंह पुत्र बन्नाराम जाट कानिस्टेबल नं. 9052, पुलिस थाना बगरू, आयुक्तालय जयपुर, 8.श्री सुरेन्द्र भाटी पुत्र श्री देवी सिंह कानिस्टेबल चालक 5525, पुलिस थाना भांकरोटा, आयुक्तालय जयपुर, 9.श्री रामचरण चौधरी पुत्र श्री रामलाल चौधरी, कानिस्टेबल नं. 9317, पुलिस थाना बगरू, आयुक्तालय जयपुर, 10.श्री कैलाशचन्द चौधरी पुत्र श्री श्योजी चौधरी कानिस्टेबल नं.1209, पुलिस थाना किशनगढ, जिला अजमेर, 11.श्री अर्जुन सिंह पुत्र श्री रामचन्द्र कानिस्टेबल चालक 6000, पुलिस थाना बगरू, आयुक्तालय जयपुर, 12.श्री विक्रम मीणा पुत्र नाथूराम कानिस्टेबल चालक 5976, पुलिस थाना भांकरोटा, आयुक्तालय जयपुर, 13.श्री सुरेश चन्द मीणा पुत्र श्री छितर मल मीणा, कानिस्टेबल 767, तत्कालीन कानि. पुलिस आयुक्तालय जयपुर, हाल कानि. एस.पी. जिला अजमेर, 14.श्री मूलचन्द शर्मा पुत्र श्री महावीर प्रसाद शर्मा, कानिस्टेबल नं. 2161, पुलिस थाना श्रीनगर हाल पुलिस लाईन जिला अजमेर, 15. श्री त्रिलोक चन्द चावला पुत्र श्री रोडूमल चावला कानिस्टेबल नं. 1073, पुलिस थाना पचेवर, हाल थाना डिग्गी जिला टोंक, 16.श्री गोवर्धन लाल पुत्र श्री बाबु लाल रैगर, तत्कालीन वाहन चालक खनन विभाग अजमेर, हाल वाहन चालक कार्यालय अतिरिक्त निदेशक खान उदयपुर जोन-उदयपुर, 17.श्री सुनील चौहान पुत्र श्री प्रदीप चौहान, वाहन चालक खान विभाग, अजमेर 18. श्री महेन्द्र मीणा निवासी बुबानी थाना गोगल, जिला अजमेर व अन्य के विरुद्ध धारा 7,7ए, 8 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व धारा 120बी भादंस में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु सेवामें प्रेषित है।



(चित्राणत महावर)


उप पुलिस अधीक्षक

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.आई.डब्ल्यू,

जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री चित्रगुप्त महावर, उप अधीक्षक पुलिस, एस.आई.डब्ल्यू. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए, 8, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री गिरधारी लाल गुर्जर, कानि. नम्बर 2436, पुलिस थाना बांदर सिंदरी, जिला अजमेर एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट के प्रथम व द्वितीय पृष्ठ पर बिन्दू संख्या 7 पर अंकित अभियुक्तों के क्रम संख्या 02 से 18 तक के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 116/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार जारी की गई।



उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 1027-35 दिनांक 6.4.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला अजमेर।
4. पुलिस उपायुक्त, पश्चिम, आयुक्तालय, जयपुर।
5. पुलिस अधीक्षक, जिला टोंक।
6. निदेशक, निदेशालय, खान एवं भू-विभान विभाग, उदयपुर।
7. अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन), खान एवं भू-विभान विभाग, उदयपुर।
8. उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
9. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.आई.डब्ल्यू. जयपुर।



उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।